राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–739/2009/नागौर
अपील संख्या–740/2009/नागौर

मैसर्स सवोत्तम वेजीटेबल प्रोडक्टस प्रा.लि.
नागौर ..अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
नागौर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री के.जी.खत्री
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक :06.03.2017

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये दोनों अपीलें मय स्टे प्रार्थना पत्र उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 35/07–08/आरएसटी व 36/08–09/आरएसटी में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 21.01.2009 एवं 07.01.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

चूँकि दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित है तथा निर्णय हेतु विवादित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रहीं है।

अपील संख्या 730/2009/नागौर के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–नागौर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 61, 58 आदेश दिनांक 26.03.3008 पारित करते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रू. 610/–, धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू 72,826/–आरोपित किया। सेट आफ रू. 230308/– नहीं दिये जाने एवं टर्न ओवर टैक्स रू. 2015/– पर इस ब्याज रू. 525/–आरोपित करते हुए कुल रू. 2,89,256/–आरोपित किया। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलार्थी की अनुपस्थिति रहने के कारण अपीलार्थी की अपील अदम हाजिरी में खारिज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2009 पारित किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील संख्या 740/2009/नागौर के संक्षिप्त इस प्रकार हैं कि आलोच्य अवधि 2005–06 में रू. 1646470/–का सेट चाहा गया। कर निर्धारण अधिकारी ने आयुक्त के परिपत्र कमांक 2405 दिनांक 28.01.1991 के निर्देशानुसार रू. 512481/–का सेट आफ स्वीकार किया है शेष रू.11,33,989/–का सेट आफ अस्वीकार किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा देय कर विलम्ब से जमा कराने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 188220/–आरोपित किया तथा द्वितीय एवं चतुर्थ तिमाही के बिक्री विवरण, प्रपत्र वार्षिक विवरण पर देरी से पेश करने के कारण अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रू. 5090/–आरोपित कर कुल रू. 13,27,218/–की मांग सृजित कर आदेश दिनांक 26.03.2008 पारित किया है। उक्त प्रकार से पारित आदेश दिनांक 26.03.2008 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2009 पारित किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलीर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रू. 16,46,470/–के स्थान पर केवल रू. 5,12,481/–का सेट आफ स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। उनका कथन है कि खरीद के सम्बन्ध में समस्त क्रय बिल भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये गये थे, जिसके अनुसार 4 प्रतिशत की दर से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.03.1997 के निर्देशानुसार सेट आफ स्वीकार किया जाना चाहिए था। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खरीदा गया तेल कर चुका होने से उस पर पूर्ण राशि टैक्स का सेट आफ प्राप्त करने का अधिकार है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त सेट आफ को अस्वीकार किया है, जो विधि सम्मत नही है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हए सेट आफ को अस्वीकार किा गया है, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है।

अपीलार्थी व्यवहारी ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना काई नोटिस जारी किये अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया गया है, जो उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीले स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये तेल पर वास्तविक रूप से चुकाये गये कर का सेट आफ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि जो कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिया ही नहीं गया है,उसका सेट आफ किस आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है । उन्होंने सरक्यूलर एफ.16(1)/ टैक्स/सीसीटी//86–2405 दिनांक 28.10.1991 को उद्धृते हुए कथन किया कि कर

निर्धारण अधिकारी ने उक्त परिपत्र के आलोक में सेट आफ स्वीकार किया गया है,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों में रखते हए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये गये सेट आफ को उचित माना है, जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि शास्ति आरोपण से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गा था किन्तु नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया है, जो पूर्णतः उचित है । उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का ध्यान में रखते हुए आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की गहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अपीलों में सेटा आफ का बिन्दु विवादित है, जिसके निस्तारण हेतु परिपत्र संख्या एफ.16(1)/ टैक्स/सीसीटी/86–2405 दिनांक 28.10.1991 पर विचार किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

"दिनांक 2 सितम्बर, 1986 के स्पष्टीकरण (एस.नं. 303) को अतिष्ठित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विनिर्माताओं को कर चुके कच्चे माल के क्रय पर आंशिक छूट उसी मात्रा में दी जावे जिस मात्रा में वास्तव में उस कच्चे माल के क्रय पर 3 प्रतिशत की दर से, अथवा उस प्रतिशत से जिस के लिए निर्माण कर्ता कच्चे माल का क्रय करने के लिए अधिकृत है, अधिक कर राज्य कोष में जमा कराया गया हो। आंशिक छूट हेतु निवेदन करने वाले व्यवहारी का यह दायित्व होगा कि वह कच्चे माल के सम्बन्ध में वास्तविक रूप से चुकाये गये कर राशि का प्रमाण कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके अभाव में आंशिक आंशिक छूट प्रदान करना उचित नहीं होगा।"

उक्त परिपत्र के पठन से स्पष्ट है कि वास्तविक चुकाये गये कर का सेट आफ प्राप्त करने का व्यवहारी अधिकारी होगा। हस्तगत अपीलों में मैसर्स सवोत्तम इण्डस्ट्रीज लि. पूँजीयास द्वारा समस्त तेल मैसर्स अनन्त कुमार अरविन्द कुमार से क्रय किया है जिसे बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1989 के तहत कर मुक्ति प्राप्त है, जो अपने कर दायित्व का 25 प्रतिशत ही वसूल कर राजकोष में जमा करवाते हैं। इसी ध्यान में रखते कर निर्धारण अधिकारी ने तेल पर वास्तविक चुकाये गये कर का सेट आफ स्वीकृत किया है, जो उक्त परिपत्र के आलोक में सही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने रू.11,33,989/–सेट आफ अस्वीकार किया है और उक्त कर देरी से जमा करवाने के कारण ब्याज रू. 1,88,220/–आरोपित किया है जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी की गई है, जो पूर्णतः उचित है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष